

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

संख्या: 350 /ई-निविदासह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19

दिनांक: 24 जुलाई 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 04\_Pithoragarh\_Gogna\_0.228/ई0निविदासहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के 5.00 है० तक के क्षेत्रफल के कुल 50 खनन लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु जारी विज्ञापन संख्या 76/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के द्वारा राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट/कम्पनी एक्ट/पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत हो, के लिए जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम गोगना, क्षेत्रफल 0.228 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर०बी०एम०) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 11.04.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 3696 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 1848 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 21.04.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 11.04.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 05 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 20.04.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई०डी०	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्रीमती दीपा देवी	35733 M180221133958300	3,696 टन
2	श्री रविन्द्र सिंह	35735 M171226155333100	3,696 टन
3	श्री भूपेन्द्र सिंह कुंवर	35753 M171228135406060	3,696 टन
4	श्रीमती कमला देवी	35788 M171221160134517	3,696 टन
5	श्री करुनेश अधिकारी	35953 M180207084035680	3,696 टन

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम गोगना, क्षेत्रफल 0.228 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 3,696 टन प्राप्त हुई।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम गोगना, क्षेत्रफल 0.228 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 3,696 x 35.00 = ₹ 1,29,360.00 (₹ एक लाख उनतीस हजार तीन सौ साठ मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 125/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/उ0सि0न0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम गोगना, क्षेत्रफल 0.228 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 1,29,360.00 (₹ एक लाख उनतीस हजार तीन सौ साठ मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 04\_Pithoragarh\_Gogna\_0.228/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 04.05.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 05 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 143/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 मई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 07 मई, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम [eauction.uk.gov.in](http://eauction.uk.gov.in) software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र०सं 0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू ₹0
1.	20181357712946	07 मई, 2018 सायं 05:03 बजे	982080.00
2.	20181357711013	07 मई, 2018 सायं 05:58 बजे	2658450.00
3.	20181357711066	07 मई, 2018 सायं 03:43 बजे	135174.00
4.	20181357712530	07 मई, 2018 सायं 05:42 बजे	2204958.00
5.	20181357711410	07 मई, 2018 सायं 05:53 बजे	2657804.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 05 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली ₹ 26,58,450.00 (₹ छब्बीस लाख अठावन हजार चार सौ पचास मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्सड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 164/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्सड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181357711013/Ms Ravindra Singh (M171226155333100)	07 मई, 2018 सांय 05:58 बजे	2658450.00	H1
2	20181357711410/Karunesh Adhikari (M180207084035680)	07 मई, 2018 सांय 05:53 बजे	2657804.00	H2
3	20181357712530/Deepa Devi (M180221133958300)	07 मई, 2018 सांय 05:42 बजे	2204958.00	H3
4	20181357712946/Kamla Devi (M171221160134517)	07 मई, 2018 सांय 05:03 बजे	982080.00	H4
5	20181357711066/Bhupendra Singh Kunwar (M171228135406060)	07 मई, 2018 सांय 03:43 बजे	135174.00	H5

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 164/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 164/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा श्री रविन्द्र सिंह (M17122615533310) को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ के ग्राम गोगना, क्षेत्रफल 0. 228 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 3,696 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 26,58,450.00 (रू0 छब्बीस लाख अठावन हजार चार सौ पचास मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 2,65,845.00 (रू0 दो लाख पैंसठ हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) एवं नियम- 28ख(3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 2,65,845.00 (रू0 दो लाख पैंसठ हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री रविन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 164/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 मई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2018 के द्वारा कतिपय कारणों के कारण उक्त उपखनिज लॉट को लेने की असमर्थता जतायी गयीके दृष्टिगत नियमावली के नियम नियम 28क(2) के अधीन H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री रविन्द्र सिंह को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 271/ई-निविदासह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19, दिनांक 28 जून, 2018 द्वारा कोटिक्रम में H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री करुणेश अधिकारी (M180207084035680) को "सफल बोलीदाता धनराशि" तथा "प्रोस्पेक्टिव

पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया कि वे उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 26,57,804.00 (छब्बीस लाख सतावन हजार आठ सौ चार) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 265780.4 अर्थात् 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी) के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री करुणेश अधिकारी द्वारा भी कार्यालय ज्ञाप संख्या 271/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19, दिनांक 28 जून, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री करुणेश अधिकारी (M180207084035680) को भी उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -डी0डी0 सं0-722370 दिनांक 09.03.2018 रू0 32,340/- (रूपये बत्तीस हजार तीन सौ चालीस मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्रीमती दीपा देवी (M180221133958300) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

10- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 व H2 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब करते हुए कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 164/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 मई, 2018 में श्रीमती दीपा देवी को अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 2204958.00 (रू0 बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) के सापेक्ष H3 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 271/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19, दिनांक 28 जून, 2018 के क्रम में श्री करुणेश अधिकारी H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 26,57,804.00 (रू0 छब्बीस लाख सतावन हजार आठ सौ चार) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी), निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री करुणेश अधिकारी H2 निविदादाता को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री करुणेश अधिकारी H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट भारतीय स्टेट बैंक -डी0डी0 सं0-722370 दिनांक 09.03.2018 रू0 32,340/- (रूपये बत्तीस हजार तीन सौ चालीस मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्रीमती दीपा देवी द्वारा बोली गयी उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानबे मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानबे मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

### आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 271/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19, दिनांक 28 जून, 2018 के क्रम में श्री करुणेश अधिकारी H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 26,57,804.00 (छब्बीस लाख सतावन हजार आठ सौ चार) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 2,65,780.00 (रूपये दो लाख पैंसठ हजार सात सौ अस्सी), निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री करुणेश अधिकारी H2 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री करुणेश अधिकारी H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -डी0डी0 सं0-722370 दिनांक 09.03.2018 रू0 32,340/- (रूपये बत्तीस हजार तीन सौ चालीस मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्रीमती दीपा देवी (M180221133958300) अधिकतम बोली रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) को सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्रीमती दीपा देवी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानबे मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव

पट्टाधारक धनराशि" रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानब्बे मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H3 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानब्बे मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 22,04,958.00 (रूपये बाईस लाख चार हजार नौ सौ अठावन मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 2,20,496.00 (रू0 दो लाख बीस हजार चार सौ छियानब्बे मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक डी0डी0 संख्या-723171, दिनांक 06.04.2018 रू0 33,000/- (रूपये तैतीस हजार मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रक्रिया अन्तिम सफल बोलीदाता अर्थात् H5 कोटिक्रम के ई-नीलामी बोलीदाता तक व्यवहारित की जायेगी।

अतः श्रीमती दीपा देवी H3 ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)  
निदेशक

संख्या: /ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. श्री करुणेश अधिकारी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी, निवासी लिंग रोड पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।
5. श्रीमती दीपा देवी (सोम रेस्टोरेन्ट), निवासी ग्राम धारी धमौड़, तहसील व जिला पिथौरागढ़।

(विनय शंकर पाण्डेय)  
निदेशक